WE ARE YOUR DOL



www.labor.ny.gov

समान अवसर विकास विभाग

दिव्यांग अमेरिकी लोगों के अधिनियम के अंतर्गत सूचना

1990 क दिव्यांग अमेरिकी लोगों के अधिनियम ("ADA") के शीर्षक ॥ की शर्तों के अनुसार, NYS श्रम विभाग अपनी सेवाओं, प्रोग्राम या गतिविधियों में दिव्यांगता के आधार पर दिव्यांगताओं से पीड़ित योग्य व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभाव नहीं करेगा।

रोज़गार: NYS श्रम विभाग, अपनी नियुक्तियों या रोज़गार की प्रथाओं में दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और ADA के शीर्षक। के तहत रोज़गार के समान अवसर के अमेरिकी आयोग द्वारा घोषित सभी विनियमों का पालन करेगा।

प्रभावी संचार: NYS श्रम विभाग, आमतौर पर अनुरोध किए जाने पर दिव्यांगताओं से पीड़ित योग्य व्यक्तियों के लिए प्रभावी संचार के उद्देश्य से उपर्युक्त सहायता और सेवाएं प्रदान करेगा, ताकि वे NYS श्रम विभाग के प्रोग्राम, सेवाओं और गतिविधियों में समान रूप से प्रतिभागिता कर सकें, इनमें योग्य संकेत भाषा इंटरप्रेटर, ब्रेल में लिखित दस्तावेज़ और बोलने, सुनने और देखने की बाध्यताओं से पीड़ित व्यक्तियों के लिए जानकारी और संचार को एक्सेस योग्य बनाने के अन्य तरीके शामिल हैं।

नीतियों और प्रक्रियाओं में संशोधन: NYS श्रम विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिव्यांगताओं से पीड़ित लोगों को इसके सभी प्रोग्रामों, सेवाओं और गतिविधियों में समान अवसर प्राप्त हों, वह नीतियों और प्रोग्रामों में सभी उपयुक्त संशोधन करेगा। उदाहरण के लिए, सेवा संबंधी पशुओं वाले लोगों का NYS श्रम विभाग के ऐसे कार्यालयों में भी स्वागत है, जहां पालतू पशु आमतौर पर प्रतिबंधित होते हैं।

ऐसा व्यक्ति, जिसे प्रभावी संचार के लिए सहायक साधन या सेवा की आवश्यकता हो या NYS श्रम विभाग के प्रोग्राम, सेवा या गतिविधियों में प्रतिभागिता करने के लिए नीतियों या प्रक्रियाओं में संशोधन की आवश्यकता हो, उसे यथाशीघ्र लेकिन शेड्यूल किए गए ईवेंट के अधिकतम 48 घंटे पहले (518) 457-1984 पर NYS श्रम विभाग के समान अवसर के विकास विभाग से संपर्क करना चाहिए।

ADA, NYS श्रम विभाग के लिए ऐसी कोई भी कार्रवाई करना आवश्यक नहीं बनाता है, जिससे उसके प्रोग्राम या सेवाओं की प्रकृति में बुनियादी बदलाव हो या उस पर अनुचित वित्तीय या व्यवस्थापकीय बोझ पड़े।

दिव्यांगताओं से पीड़ित किसी व्यक्ति के लिए NYS श्रम विभाग के किसी प्रोग्राम, सेवा या गतिविधि के एक्सेस करने योग्य नहीं होने की शिकायतें NYS श्रम विभाग के समान अवसर के विकास विभाग को (518) 457-1984 पर या ईमेल deod@labor.ny.gov. पर भेजी जानी चाहिए।

NYS श्रम विभाग उन स्थानों से आइटम प्राप्त करना जो जनता के लिए खुले हैं लेकिन व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के लिए सुलभ नहीं हैं जैसी सहायक सहायता/सेवाएं या नीति में उचित संशोधन प्रदान करने की लागत को कवर करने के लिए विकलांग व्यक्ति या विकलांग व्यक्तियों के किसी समूह पर कोई अधिभार नहीं लगाएगा।